रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 426] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 1970/अग्रहायण 5, 1892

No. 426] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 1970/AGRAHAYANA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November 1970

S.O. 3804.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the applications for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by (i) the Central India Commercial Exchange Ltd., Gwalior and (ii) the Kanpur Oils and Oilseeds Exchange Ltd., Kanpur and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act recognition to the said associations for a period of three years from the 26th November, 1970 to the 25th November, 1973 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

The recognition hereby granted is subject to the condition that the said associations shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. 12(4)-I.T/70.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1970

का० आ० 3804.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन (i) दि सेंट्रल इण्डिया कामर्सियल एक्सचेंज लिमिटेड ग्वालियर तथा (ii) दि कानपुर आयल्स ऐण्ड आयल सीड्स एक्सचेंज लिमिटेड, कानपुर द्वारा मान्यता के लिए किये गये आवेदनों पर वायदा बाजार आयोग के परमर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संगमों को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में, 26 नवम्बर 1970 से लेकर 25 नवम्बर, 1973 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त संगम ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सं० 12(4)—आई० टी/70]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1970